"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 204] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मई 2013—ज्येष्ठ 1, शक 1935

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2013

क्रमांक 49/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013.—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1) (ई) सहपठित धारा 181 द्वारा आयोग में निहित शक्तियों एवं ऐसी अन्य समस्त शक्तियों का, जो आयोग को इस हेतु समर्थ बनाती हो, उपयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन करने के उपरांत, राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा का क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना के क्रियान्वयन हेतु, आयोग, पूर्व में बनाये गये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2011 (सी.एस.ई.आर.सी. आर.पी.ओ.-आर.ई.सी. रेग्युलेशन्स 2011 या मूल विनियम) को संशोधित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :—**

1.1 इन विनियमों को छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 कहा जायेगा.

1.2 ये विनियम मूल विनियमों के लागू रहने की कालावधि में ही प्रभावशील होंगे.

2. **मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन :—** विनियम 9.1 के आठवें परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जावे—

परन्तु किसी दायित्वाधीन एकक द्वारा, दायित्वकृत अवधि के भीतर अपने दायित्व की पूर्ति हेतु, क्रय की गई नवीकरणीय ऊर्जा अथवा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार के क्रय के आधिक्य अथवा कमी की दशा में अनुवर्ती वर्ष के दायित्वों की पूर्ति हेतु विचार में लिया जावेगा.

Raipur, the 21st May 2013

No. 49/RPO-REC/2013.—Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (the Commission), in exercise of the power vested to the Commission under section 86(1)(e) of the Electricity Act 2003 (the Act) read with section 181 of the Act and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, hereby makes the following regulations, to amend Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) Regulations, 2011 (CSERC RPO-REC Regulations 2011 or the Principal Regulations) regarding renewable purchase obligation and implementation of REC framework in the State.

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation And REC Framework Implementation) (First Amendment) Regulations, 2013

1. **Short title and commencement :—**

   1.1 These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and REC framework Implementation) (First Amendment) Regulations, 2013.

   1.2 These regulations shall be in force for the period of applicability of the Principal Regulations.

2. **Amendment of Regulation 9 of the principal regulations :—** Following proviso shall be added after the eight proviso of regulation 9.1.

   Provided any excess purchase/ shortfall of renewable energy or the REC procured by obligated entities for meeting the RPO in the obligation period shall be considered for meeting the RPO for the succeeding year.

आयोग के आदेशानुसार,
पी. एन. सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.